HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 7802/2025

Surendra Kumar Son of Shri Prem Raj, Aged About 29 Years, Resident of Gusaiyon Ki Dhani, Tan Jagiwada, Tehsil Mundawar, District Khairthal Tizara, Rajasthan.

----Accused/Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.

----Non Applicant/Respondent

2. Smt. Bhateri Devi Wife of Late Shri Dinesh, Resident of Gusaiyon Ki Dhani, Tan Jagiwada, Tehsil Mundawar District Khairthal Tizara, Rajasthan.

----Complainant/Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rahul Tiwari, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, Addl. GA With Mr. Gaurav Gupta, Asst. GA

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL
Order

26/02/2026

1 याची–अभियुक्त की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– **163/2025** पुलिस थाना– **मुण्डावर**, जिला– **खैरथल–तिजारा**, अपराध अंतर्गत धारा **318(4), 316(2) भारतीय न्याय संहिता** को रद्द एवं अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है, साथ ही **स्थगन प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत किया गया है।

2 तीन सप्ताह की वापसी के साथ अयाचीगण को नोटिस जारी किए जावें, विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता अयाची संख्या–01 की ओर से नोटिस स्वीकार करते है।

3 विद्वान् अधिवक्ता याची–अभियुक्त का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में याची–अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है, उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 163/2025 में मिथ्या संलिप्त किया गया है, उनका यह भी कथन है कि याची–अभियुक्त ने परिवादिया के पति से उसकी मृत्यु से पूर्व

प्रकरण में प्रश्नगत वाहन को खरीदने हेतु एक इकरारनामा दिनांक 09–10–2023 को किया था, जिसके क्रम में 1,27,000/– रुपये परिवादिया के पति को अदा कर दिए थे, उसके पश्चात् परिवादिया के पति की मृत्यु होने पर उसने कई बार परिवादिया को उक्त वाहन उसके पक्ष में पंजीकृत कराने हेतु निवेदन किया, किंतु परिवादिया द्वारा उक्त वाहन उसके पक्ष में पंजीकृत नहीं कराकर वाहन को हड़पने की नियत से यह झूंठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, उनका कथन है कि याची–अभियुक्त अन्वेषण में भाग लेने के लिए तैयार एवं तत्पर है, पुलिस उसे गिरफ्तार करने पर आमादा है, अतः याची–अभियुक्त को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जावे।

4 विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अंतरिम सुरक्षा प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध करते हुए उसे अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

5 मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

6 हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों आदि को दृष्टिगत रखते हुए याची–अभियुक्त को न्यायहित में आदेश दिया जाता है कि यदि वह दिनांक **12.03.2026** को या उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में भाग ले तो उसके विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **163/2025** के संदर्भ में आगामी तिथि तक कोई बलपूर्वक कार्यवाही (**No Coercive Action**) नहीं की जावे, याची–अभियुक्त के उक्त तिथि तक अनुसंधान हेतु उपस्थित नहीं होने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

7 अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान कर आगामी तिथि पर प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे।

8 प्रकरण **3 सप्ताह** पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(BHUWAN GOYAL),J